

12/1/23

कि. श. न. लाल

9

वकील सार्वो ने सार्वना पत्र उपस्थित होकर
न्यायालय दफ्तर में विचारणीय सार्वना पत्र प्र. सं.
35/2022 को विद्वेष्ट करने की अनुमति पाई
जाने से पत्रावली सीगह से हलब होकर पैरा
हुई। सार्वना पत्र का एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वकील सार्वो को सुना
गया। बाद जॉय अवलोकन सार्वो का सार्वना
पत्र को स्वीकार किया जाकर सार्वना पत्र
को विद्वेष्ट करने की अनुमति सदान की जाती
है। वकील सार्वो द्वारा सार्वना पत्र को विद्वेष्ट
कर लेने से अब इस सार्वना पत्र प्रकरण
की पत्रावली में कोई आगे कार्यवाही की जाना
उचित नहीं है। अतः सार्वना पत्र प्रकरण की
पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती
है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर न्यायालय से
रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

